

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी-3, राजमहल रेजीडन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर

क्रमांक : एफ. 59 (116)STP/DLB/MSJKY/17/189-380

दिनांक : 28.04.2017

आयुक्त/अधिकाारी,
नगर निगम/परिषद/नगर पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय : शहरी जन कल्याण शिविर की तैयारियों के सम्बन्ध में दिनांक 02.05.2017 को आयोजित कार्यशाला बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व आदेश सं. : एफ. 59 (116)STP/DLB/MSJKY/17/1531 दिनांक 25.04.2017 के क्रम में।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत समस्त नगर निकायों में वार्ड वार्ड शिविर आयोजित करने के सम्बन्ध में दिनांक 2 मई, 2017 को बिरला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त शहरी स्थानीय निकायों से जन प्रतिनिधिगण एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

इसी क्रम में लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित होने वाले शहरी जन कल्याण शिविरों में आम जन से जुड़े कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से सम्पादित हो एवं शिविर के दौरान किसी प्रकार की समस्या/कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। अतः समस्त नगर निकाय में शिविर कार्य से जुड़े हुये कनिष्ठ अभियन्ता एवं भूमि सम्बन्धी विज्ञ कार्मिक को भी अपने साथ लेकर उक्त कार्यशाला में उपस्थित हों।

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक : 28.04.2017

क्रमांक : एफ. 59 (116)STP/DLB/MSJKY/17/
प्रतिलिपि :

उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी-3, राजमहल रेजीडन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर

क्रमांक : एफ. 59 (116)STP/DLB/MSJKY/17/

दिनांक : 28.04.2017

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/नगर पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय : शहरी जन कल्याण शिविर की तैयारियों के सम्बन्ध में दिनांक 02.05.2017 को आयोजित कार्यशाला बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व आदेश सं. : एफ. 59 (116)STP/DLB/MSJKY/17/1531 दिनांक 25.04.2017 के क्रम में।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत समस्त नगर निकायों में वार्ड वार्डज शिविर आयोजित करने के सम्बन्ध में दिनांक 2 मई, 2017 को बिरला ऑडिटोरियम, स्टेच्यु सर्किल, जयपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त शहरी स्थानीय निकायों से जन प्रतिनिधिगण एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

इसी क्रम में लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत आयोजित होने वाले शहरी जन कल्याण शिविरों में आम जन से जुड़े कार्यों का निष्पादन सुचारु रूप से सम्पादित हो एवं शिविर के दौरान किसी प्रकार की समस्या/कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। अतः समस्त नगर निकाय में शिविर कार्य से जुड़े हुये कनिष्ठ अभियन्ता एवं भूमि सम्बन्धी विज्ञ कार्मिक को भी अपने साथ लेकर उक्त कार्यशाला में उपस्थित हों।

sd/
(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक : 28.04.2017

क्रमांक : एफ. 59 (116)STP/DLB/MSJKY/17/381-388
प्रतिलिपि :

उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

h
अतिरिक्त निदेशक